न्यायालय सहायक कलेक्टर जयपुर शहर द्वितीय जयपुर

पीठासीन अधिकारी – श्री विष्णु कुमार गोयल–I (आर.ए.एस.)

प्रार्थना पत्र संख्या : 2019/11

1. रामनारायण पुत्र स्व0 श्री हनुमान
2. गणेशनारायण पुत्र स्व0 श्री हनुमान
3. रामनिवास पुत्र स्व0 श्री हनुमान
4. बाबूलाल पुत्र स्व0 श्री कल्याण सहाय
5. सुरेश पुत्र स्व0 श्री कल्याण सहाय

   समस्त जाति बागडा ब्राह्मण, निवासी बागडों का मोहल्ला, ग्राम बगरू कलां, तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
6. जगदीश पुत्र स्व0 श्री हनुमान यादव
7. सीताराम यादव पुत्र स्व0 श्री हनुमान यादव
8. कैलाश पुत्र स्व0 श्री हनुमान यादव
9. बंशी पुत्र स्व0 श्री हनुमान यादव
10. केसरलाल पुत्र स्व0 श्री हनुमान यादव

    समस्त जाति अहीर, निवासी उंती रोड, पेट्रोल पम्प के सामने, बगरूकलां, तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
11. श्रीमती रूकमणी देवी धर्मपत्नि स्व0 श्री हनुमान, जाति अहीर, निवासी उंती रोड, पेट्रोल पम्प के सामने, बगरूकलां, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

–प्रार्थीगण/वादीगण

बनाम

1. मन्दिर श्री बिहारीजी जरिये पुजारी श्री ओम प्रकाश भारद्वाज पुत्र स्व0 श्री हनुमान सहाय भारद्वाज, निवासी बिहारी बाजार, बगरू कलां, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

– अप्रार्थी/प्रतिवादी

2. बाबूलाल पुत्र स्व0 श्री गोपाल यादव, जाति अहीर, निवासी उंती रोड, अहीरों की ढाणी, बगरू कलां, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
3. मु0 सायर बेवा स्व0 श्री गोपाल यादव, जाति अहीर, निवासी उंती रोड, अहीरों की ढाणी, बगरू कलां, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
4. श्रीमती प्रेम पुत्री स्व0 श्री गोपाल यादव धर्मपत्नि श्री बाबूलाल यादव, जाति अहीर, निवासी ग्राम श्योपुरा, तहसील व जिला जयपुर।

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Scanned by CamScanner

5. रामसहाय पुत्र स्व0 श्री मांगू उर्फ मांगीलाल, जाति अहीर, निवासी ग्राम उंती रोड मलिक फॉर्म के सामने, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
6. मोहन पुत्र स्व0 श्री मांगू उर्फ मांगीलाल, जाति अहीर, निवासी ग्राम उंती रोड, मलिक फॉर्म के सामने, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
7. राधेश्याम पुत्र स्व0 श्री मांगू उर्फ मांगीलाल, जाति अहीर, निवासी ग्राम उंती रोड मलिक फॉर्म के सामने, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
8. राजस्थान राज्य सरकार जरिये तहसीलदार सांगानेर, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

— प्रारूपिक अप्रार्थी / प्रतिवादी

आवेदन अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सहपठित आदेश 39 नियम 1 व 2 तथा धारा 151 जा0दी0

सहायक कलक्टर जयपुर शहर द्वितीय

निर्णय **दिनांकः 28.08.2019**

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र इस आशय के साथ पेश किया गया कि भूमि विवादग्रस्त साबिका खसरा नंबर 2207 रकबा 16 बिस्वा, 2208 रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा, 2209 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा, 2210 रकबा 7 बीघा 6 बिस्वा, 2201 रकबा 1 बीघा, 2202 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा, 2203 रकबा 2 बीघा 17 बिस्वा, 2205 रकबा 2 बीघा 16 बिस्वा, व खसरा नंबर 2206 रकबा 17 बिस्वा कुल किता 9 कुल रकबा 19 बीघा 18 बिस्वा व जिनके हाल बन्दोबस्त में नवीन खसरा नंबर 4020 रकबा 0.40 है0, 4021 रकबा 0.36 है0, 4022 रकबा 0.01 है0, 4023 रकबा 0.34 है0, 4024 रकबा 0.17 है0, 4025 रकबा 0.22 है0, 4027 रकबा 0.35 है0, 4028 रकबा 0.12 है0, 4029 रकबा 0.28 है0, 4030 रकबा 0.51 है0, 4031 रकबा 0.21 है0, 4032 रकबा 0.20 है0, 4034 रकबा 0.38 है0, 4035 रकबा 0.22 है0, 4036 रकबा 0.24 है0 कुल किता 15 कुल रकबा 5.01 हैक्टेयर ग्राम बगरू कलां, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर में स्थित है। उपरोक्त वर्णित भूमि महन्त गोरधनदास चेला माधवदास, जाति ब्राह्मण की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि थी। राजस्व भू–अभिलेखों में महन्त गोरधनदास चेला माधवदास का नाम खातेदार कृषक के रूप में दर्ज था और वही उक्त भूमि पर काबिज रहकर काश्त कर लगान राज्य सरकार को अदा करता था। श्री गोरधनदास चेला माधवदास, जाति ब्राह्मण ने

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Scanned by CamScanner

उपरोक्त वर्णित भूमि खसरा नंबर 2207 रकबा 16 बिस्वा, 2208 रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा, 2209 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा, 2210 रकबा 7 बीघा 6 बिस्वा, 2201 रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा, 2202 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा, 2203 रकबा 2 बीघा 17 बिस्वा, 2205 रकबा 2 बीघा 16 बिस्वा व खसरा नंबर 2206 रकबा 17 बिस्वा कुल किता 9 रकबा 19 बीघा 18 बिस्वा हनुमान पुत्र सोहनलाल, बागडा ब्राह्मण हिस्सा 1/2 तथा हनुमान पुत्र चौगान यादव, जाति अहीर हिस्सा 1/2 को दिनांक 11.05.1964 के विक्रय पत्र द्वारा विक्रय कर कब्जा संभला दिया। उक्त विक्रय पत्र को उप पंजीयक सांगानेर ने पुस्तक संख्या 1, जिल्द संख्या 8, क्रम संख्या 74, पृष्ठ संख्या 251 से 252 पर दिनांक 22.05.1964 को पंजीकृत कर दिया तब से उक्त क्रेतागण उक्त भूमि पर निरन्तर काबिज रहकर काश्त करते रहे। हनुमान पुत्र सोहनलाल, ब्रागड़ा ब्राह्मण का दिनांक 06.01.2009 को देहांत हो गया। मृतक श्री हनुमान पुत्र सोहनलाल के प्रार्थी/वादी संख्या 1 लगायत 3 पुत्र हैं तथा चतुर्थ पुत्र कल्याण सहाय का भी देहान्त हो गया जिसके दो पुत्र बाबूलाल व सुरेश प्रार्थी/वादी संख्या 4 व 5 हैं। हनुमान पुत्र चौगान यादव, जाति अहीर का भी दिनांक 10.01.2003 को देहान्त हो गया। हनुमान पुत्र चौगान यादव के पांच पुत्र जगदीश, सीताराम, कैलाश, बंशी व केसरलाल प्रार्थी/वादी संख्या 11 है जो निरन्तर उक्त भूमि पर काबिज रहकर कब्जे काश्त चले आ रहे है। दिनांक 22.05.1964 को पंजीकृत किये गये उक्त विक्रय पत्र के आधार पर नियमानुसार नामांतकरण संख्या 329 दिनांक 04.07.1964 को तस्दीक किया जाकर राजस्व भू–अभिलेखां में हनुमान पुत्र सोहनलाल, बागडा ब्राह्मण तथा हनुमान पुत्र चौगान यादव का नाम बहिस्सा बराबर खातेदार कृषक के रूप में राजस्व भू–अभिलेखों में अंकित कर दिया गया। प्रार्थीगण/वादीगण गरीब काश्तकार व्यक्ति है, जो विधि के तकनीकी प्रावधानों से पूर्णतः परिचित नहीं है। चूंकि प्रार्थीगण/वादीगण भूमि विवादग्रस्त पर निरन्तर काबिज रहकर, काश्तकार लगान राज्य सरकार को अदा करते रहे इसलिये उन्हे राजस्व भू–अभिलेखों में हो रहे इन्द्राजात को देखने की कभी कोई आवश्यकता नहीं पड़ी। गोपाल पुत्र चौगान तथा रामसहाय, मोहन प राधेश्याम पुत्रान मांगू उर्फ मांगीलाल ने घोषणा, बंटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा के अनुतोष हेतु एक दावा प्रार्थी/वादी संख्या 6 लगायत 11 प्रारूपिक अप्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 8 तहसीलदार सांगानेर के विरूद्व माननीय न्यायालय के समक्ष मूलतः यह अंकित करते हुये प्रस्तुत किया कि उक्त भूमि के 1/2 हिस्से को जो हनुमान पुत्र चौगान ने

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Scanned by CamScanner

पंजीकृत विक्रय पत्र द्वारा क्रय किया था उसमें उनका भी हिस्सा निहित है। उक्त वाद संख्या 55/2017 उनवानी गोपाल व अन्य बनाम जगदीश व अन्य माननीय न्यायलय के समक्ष विचाराधीन है, जिसमें आगामी तारीख पेशी दिनांक 15.04.2019 नियत है। उक्त दावे में अप्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 जो कि वर्तमान दावे में प्रार्थी/वादी संख्या 6 लगायत 11 है, ने वादोत्तर प्रस्तुत कर उक्त भूमि को पूर्व खातेदार कृषक गोरधनदास से दिनांक 22.05.1964 के पंजीकृत विक्रय पत्र द्वारा श्री हनुमान पुत्र सोहनलाल, बागडा ब्राह्मण हिस्सा 1/2 तथा श्री हनुमान पुत्र चौगान यादव, जाति अहीर हिस्सा 1/2 द्वारा क्रय कर कब्जा प्राप्त किया जाना और उक्त भूमि पर निरन्तर काबिज रहकर काश्त किया जाना स्पष्ट किया। न्यायालय द्वारा वाद संख्या 55/2017 में आदेश पारित कर उक्त वाद में मन्दिर को भी पक्षकार अप्रार्थी/प्रतिवादी बनाये जाने का आदेश पारित किया जिसकी अनुपालना में मन्दिर श्री श्यामजी जरिये पुजारी ओम प्रकाश भारद्वाज को अप्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 8 के रूप में पक्षकार बनाया गया। उल्लेखनीय है कि मन्दिर श्री बिहाराजी की ओर से श्री ओम प्रकाश भारद्वाज ने दिनांक 12.06.2018 को वादौतर मय काउन्टर क्लेम प्रस्तुत किया जिसमें प्रार्थीगण/वादीगण गोपाल द्वारा प्रस्तुत दावे को निरस्त कर काउन्टर क्लेम इस आशय का चाहा गया कि उक्त वाद में प्रार्थीगण/वादीगण एवं अप्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि वे "विवादित भूमि पर मन्दिर श्री बिहाराजी के किसी भी भू-भाग पर नाजायज कब्जा करने, कब्जे के आधार पर विक्रय, अनुबंध, रहन, अन्तरण आदि ना तो स्वयं करे ना किसी अन्य से करावें तथा विवादित कृषि भूमि पर फसल बोने तथा कृषि कार्य करने, हरे पेड काटने, तारबंदी करने, किसी प्रकार का कच्चा-पक्का निर्माण करने से निषेध रहे और विवादित मन्दिर माफी भूमि की मौके एवं राजस्व रिकॉर्ड की स्थिति यथावत बनाये रखें"। मन्दिर श्री बिहाराजी की ओर से वादौत्तर प्रस्तुत करने के पश्चात जब उक्त वाद संख्या 55/2017 में अप्रार्थी/प्रतिवादी संख्यरा 1 लगायत 6 ने राजस्व भू-अभिलेखों की जानकारी की तो पता चला की राजस्व भू-अभिलेखों में जो हनुमान पुत्र सोहनलाल, बागडा ब्राह्मण हिस्सा 1/2 तथा हनुमान पुत्र चौगान यादव जाति अहीर हिस्सा 1/2 का नाम खातेदार कृषक के रूप में दर्ज था उसे लोपित कर "मन्दिर श्री बिहाराजी स्थान देह" का नाम राजस्व भू-अभिलेखों में खातेदार कृषक के रूप में अंकित कर दिया गया है परन्तु हनुमान पुत्र सोहनलाल व

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Scanned by CamScanner

हनुमान पुत्र चौगान यादव का नाम किस आधार पर व किस आदेश से लोपित कर मन्दिर बिहारीजी का नाम खातेदार कृषक के रूप में अंकित किया गया, इसकी कोई जानकारी प्रार्थीगण/वादीगण को प्राप्त नहीं हो सकी। राजस्व भू–अभिलेखो के संबंध में काफी जानकारी करने के पश्चात भी जब उक्त प्रकरण का कोई कारण स्पष्ट नहीं हो सका तब मौजूदा प्रार्थी/वादी संख्या 7 सीताराम पुत्र हनुमान सहाय यादव ने सूचना के अधिकार के तहत एक आवेदन लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी (द्वितीय) जयपुर सांगानेर जयपुर के समक्ष प्रस्तुत कर उक्त संदर्भित जानकारी चाही तो उप जिला कलेक्टर (द्वितीय) जयपुन ने दिनांक 12.09.2018 को एक पत्र उप तहसीलदार बगरू को प्रेषित कर उक्त संबंध में स्पष्ट जानकारी देने हेतु निर्देशित किया और न्यायालय की प्रति आवेदन में प्रेषित की जिस पर उप तहसीलदार बगरू ने दिनांक 03.10.2018 को एक पत्र द्वारा प्रार्थी/वादी संख्या 7 को यह स्पष्टीकरण दिया कि भूमि विवादग्रस्त से संबंधित रिकॉर्ड आपको पूर्व में उपलब्ध कराया जा चुका है, शेष सूचना इस कार्यालय में उपलब्ध नही है। उक्त सूचना हेतु भू–प्रबंध विभाग जयपुर से सम्पर्क कर प्राप्त करें। उल्लेखनीय है कि उक्त सूचना प्राप्त होने पर प्रार्थीगण/वादीगण ने भू–प्रबंध विभाग जयपुर के समक्ष भी जानकारी हेतु काफी प्रयत्न किये तो उन्हें मात्र यही जानकारी दी गई कि उनके पास उक्त संदर्भ में कोई अभिलेख नहीं है इसलिये प्रार्थी को उक्त संदर्भित कोई जानकारी प्राप्त नहीं हो सकी। उपरोक्त वर्णित तथ्यों से यह संदेह से बाहर स्पष्ट है कि राजस्व भू–अभिलेखों में क्रेतागण हनुमान पुत्र सोहनलाल, बागडा ब्राह्मण हिस्सा 1/2 तथा हनुमान पुत्र चौगान यादव, जाति अहीर हिस्सा 1/2 का नाम लोपित कर जो "मन्दिर श्री बिहाराजी स्थान देह" का नाम खातेदार कृषक के रूप में अंकित कर दिया गया है यह इन्द्राजात क्षेत्राधिकार के बाहर किये गये अवैध इन्द्राजात है जो प्रारम्भ से ही शून्य है और इसलिये राजस्व भू–अभिलेखों में क्षेत्राधिकार के बाहर किये गये उक्त प्रभावशून्य इन्द्राजात को दुरूस्त कर राजस्व भू–अभिलेखों में हनुमान पुत्र सोहनलाल, बागडा ब्राह्मण तथा हनुमान पुत्र चौगान यादव, जाति अहीर के नाम ही खातेदार कृषक के रूप में अंकित कर उनका देहान्त हो जाने की स्थिति में प्रार्थीगण/वादीगण का नाम खातेदार कृषक के रूप में राजस्व भू–अभिलेखों में अंकित किया जाना न्याय के हित में आवश्यक है। प्रार्थीगण/वादीगण ने श्री ओम प्रकाश भारद्वाज से सम्पर्क कर उसे उपरोक्त वर्णित स्थिति से अवगत कराकर राजस्व

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Scanned by CamScanner

भू–अभिलेखो में हो रहे अवैध इन्द्राजात को निरस्त करवा कर पूर्व इन्द्राजात पुनः कायम करा दिये जाने का अनुरोध किया तो वह आश्वासन देता रहा परन्तु उसके पश्चात वह दिनांक 30.03.2019 को पूर्णतः इनकार हो गया जिसकी वजह से प्रार्थीगण/वादीगण को वाद कारण उत्पन्न होने पर दावा एवं आवेदन अस्थाई निषेधाज्ञा दायर करना आवश्यक हुआ है। अतः आवेदन अस्थाई निषेधाज्ञा मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थना है कि अप्रार्थी संख्या 1 को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि वह वाद के विचारण के दौरान ग्राम बगरू कलां, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर स्थित भूमि हाल खसरा नंबर 4020 रकबा 0.40 है0, 4021 रकबा 0.36 है0, 4022 रकबा 0.01 है0, 4023 रकबा 0.34 है0, 4024 रकबा 0.17 है0, 4025 रकबा 0.22 है0, 4027 रकबा 0.35 है0, 4028 रकबा 0.12 है0, 4029 रकबा 0.28 है0, 4030 रकबा 0.51 है0, 4031 रकबा 0.21 है0, 4032 रकबा 0.20 है0, 4034 रकबा 0.38 है0, 4035 रकबा 0.22 है0, 4036 रकबा 0.24 है0 कुल किता 15 कुल रकबा 5.01 हैक्टेयर ग्राम बगरू कलां, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर पर प्रार्थीगण की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि में कोई हस्तक्षेप ना तो स्वयं करे ना ही किसी अन्य से करावें तथा भूमि विवादग्रस्त के किसी भी अंश या भाग पर अतिक्रमण करने अथवा प्रार्थीगण को बेदखल करने की कोई कार्यवाही ना तो स्वयं करे ना ही किसी अन्य से करावें तथा भूमि विवादग्रस्त के किसी भी अंश या भाग पर अतिक्रमण करने अथवा प्रार्थीगण को बेदखल करने की कोई कार्यवाही ना तो स्वयं करे ना ही किसी अन्य से करावें।

सहायक कलक्टर जयपुर शहर द्वितीय

वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के समर्थन में दस्तोवजात सूची के साथ फोटो प्रमाणित प्रति जमाबंदी संवत् 2016–19 खाता सं. 122/1 ग्राम बगरूकलां तहसील सांगानेर, फोटो प्रति विक्रय पत्र दिनांक 22.05.1964 गोरधनदास बहक हनुमान व अन्य, फोटो प्रति नां.सं. 329 दिनांक 04.07.1964, फोटो प्रति जमाबंदी संवत् 2029–32 खाता सं. 664 फोटो प्रति खसरा गिरदावरी संवत् 2030–2036, फोटो प्रति मिलान क्षेत्रफल पेश किये जो शामिल पत्रावली है। दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1,2,3,5,6,7 जरिये अधिवक्ता उपस्थित आये। अप्रार्थी संख्या 4 बावजूद तामील अनुपस्थित रहने पर एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थी संख्या 1,2,3,5,6,7 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया गया जवाब के अतिरिक्त कथन में अंकित है कि जमाबंदी संवत् 2029 से 2032 के अन्तर्गत उक्त विवादित कृषि भूमि का 1/2 हिस्सा हनुमान पुत्र

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Scanned by CamScanner

चौगान जाति अहीर व आधा हनुमान पुत्र सोहन लाल बागडा के नाम से दर्ज राजस्व रिकॉर्ड था। उक्त वादग्रस्त भूमि गोरधन दास से दिनांक 11.05.1964 को क्रय की गई थी। हनुमान पुत्र चौगान अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 7 का ताउजी लगता था तथा अप्रार्थीगण के पिता का सगा भाई था। अप्रार्थी संख्या 5 लगायत 7 के पिता स्व0 मांगू उर्फ मांगीलाल एवम् अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 3 के पति व पिता स्व0 गोपाल यादव तथा प्रार्थी संख्या 6 लगायत 10 के पिता व प्रार्थी संख्या 11 के पति स्व0 हनुमान सगे भाई थे। पूर्व में भी सभी शामलाती परिवार में इक्कठ ही रहते थे इसी दौरान उक्त विवादित कृषि भूमि क्रय की गई थी भाईयों में आपस में अगाध प्रेम होने के कारण उक्त विवादित कृषि भूमि अकेले हनुमान के नाम ही करवा दी गई थी क्योकि तीनो भाईयो में हनुमान उम्र व पद में सबसे बडा था इसलिए उसी के नाम उक्त वादग्रस्त भूमि क्रय की गई थी बाद में अलग होने के उपरांत तीनो भाईयो के द्वारा मनबट के आधार पर उक्त विवादित भूमि में काश्त की जाती थी। अप्रार्थी संख्या 5 लगायत 7 के पिता मांगू उर्फ मांगीलाल की मृत्यु के उपरांत उनके पुत्रो द्वारा उक्त विवादित भूमि में बुवाई जुताई आदि के कृषि कार्य किये जाते थे अप्रार्थी संख्या 6 लगायत 11 या उसके पिता स्व0 श्री हनुमान द्वारा विवादित कृषि भूमि पर इन लोगो ने कभी भी किसी प्रकार का कृषि कार्य नहीं किया और ना ही इन लोगो का इस भूमि पर कभी कोई कब्जा रहा है। विवादित कृषि भूमि पर प्रार्थी संख्या 6 लगायत 10 के पिता व अप्रार्थीगण के पिता में विवाद उत्पन्न होने पर गांव के पांच आदमियों के समक्ष दिनांक 02.09.1979 को एक 5/– रूपये कीमती स्टॉम्प पर इनकी जमीनो का इकरारनामा लिखा गया। उक्त स्टॉम्प स्व0 श्री हनुमान का पुत्र सीताराम स्व0 हनुमान के नाम से लेकर आया था उक्त इकरारनामा दिनांकित 02.09.1979 के अनुसार विवादित कृषि भूमि के बाबत कभी तीनो भाई स्व0 हनुमान, स्व0 मांगू उर्फ मांगीलाल व स्व0 गोपाल का हिस्सा बराबर–बराबर माना गया उक्त इकरारनामे को सभी लागो को समझाकर व सुनाकर उस पर हस्ताक्षर करवाये गये व समाज के प्रतिष्ठित कई लोगो ने इस पर हस्ताक्षर किये व स्व0 हनुमान के पुत्र सीताराम ने भी जो वाद में प्रार्थी संख्या 7 है ने भी इस पर हस्ताक्षर किये तभी से अप्रार्थीगण का उक्त विवादित कृषि भूमि के दो तिहाई हिस्से पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। स्व0 श्री हनुमान की मृत्यु सन् 2004 में होने के उपरांत उसके पुत्रो के मन में खोट उत्पन्न हो जाने के कारण सम्पूर्ण विवादित कृषि भूमि पर नाजायज कब्जा

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Scanned by CamScanner

कर उसके विक्रय करने पर उतारू रहते है प्रार्थीगण आये दिन अप्रार्थीगण के साथ लडाई झगडा करते रहते है जिसकी कई बार पुलिस थाना बगरू में शिकायत दर्ज करवाई जा चुकी है। अप्रार्थीगण अपने दो–तिहाई हिस्से पर शुरू से ही काबिज होकर निरन्तर काश्त करते चले आ रहे है। प्रार्थीगण संख्या 6 लगायत 11 के पिता व पति स्व0 श्री हनुमान के नाम पूर्व में उक्त विवादित कृषि भूमि होने के कारण प्रार्थीगण अप्रार्थीगण को उक्त भूमि से बेदखल करने पर आमादा है। जिसका प्रार्थीगण को कोई विधिक अधिकार प्राप्त नही है। आये दिन के लडाई झगडो से परेशान होकर दिनांक 22.09.2016 को प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण प्रार्थी संख्या 2 लगायत 10 व अप्रार्थीगण के मध्य एक राजीनामा लिखा गया जिसके अनुसार सभी पक्ष मिल बैठकर सभी जमीनो का विवाद खत्म करेगे तब तक सभी जमीनो पर यथास्थिति बनाये रखेगे व विवादित कृषि भूमि पर भी यथास्थिति बनाये रखेगें। राजीनामा लिखकर सभी पक्षो ने इस पर हस्ताक्षर कर दिये। जिससे भी स्पष्ट है कि प्रार्थी संख्या 6 लगायत 10 आये दिन झगडा फसाद करते है इसी कारण उक्त राजीनामा लिखा गया। दिनांक 20.04.2017 को प्रार्थीगण व इनके अनेक रिश्तेदार ट्रेकटर ट्रोली में भरकर आये और विवादित भूमि पर नाजायज तार बाउण्ड्री करने की कोशिश करने लगे व अप्रार्थीगण को हथियार दिखाकर धमकिया देने लगे कि हम इस विवादित भूमि पर कब्जा करके इसे विक्रय कर देगे यदि तुमने हमे रोकने की कोशिश की तो जान से हाथ धो बैठोगे। उक्त वादग्रस्त भूमि पर प्रार्थीगण को नाजायज कब्जा करने व उसके आधार पर विक्रय करने को कोई विधिक अधिकार प्राप्त नही है। अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 7 द्वारा एक अन्य वाद इसी भूमि का इसी न्यायालय में वाद गोपाल व अन्य बनाम जगदीश व अन्य दर्ज करवाया है जो घोषणा व इन्द्राज दुरूस्ती तथा स्थाई निषेधाज्ञा का है जिसमें अप्रार्थीगण द्वारा अपने अधिकारो को घोषित करवाने के लिए दावा प्रस्तुत किया गया था। वर्तमान वाद में दिनांक 05.07.2019 को अप्रार्थीगण द्वारा उपस्थित होने व न्यायालय द्वारा यथास्थिति बनाये रखने के आदेश के बावजूद दिनांक 07.07.2019 को प्रार्थीगण व इनके परिवार के 30–40 लोग पॉच–छ ट्रेक्टर को लेकर वादग्रस्त भूमि पर आये और मोके की स्थिति को डिस्टर्ब करने लगे जिसका विरोध करने पर प्रार्थीगण व इनके साथ आये लोगो ने अप्रार्थीगण को जान से मारने की धमकी देकर वहां से भाग दिया पुलिस में सूचना देने पर पुलिस ने भी कोई कार्यवाही नही की। प्रार्थीगण वादग्रस्त भूमि पर नाजायज कब्जा करना

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Scanned by CamScanner

चाहते है जबकि प्रार्थीगण को ऐसा करने का कोई विधिक अधिकार प्राप्त नही है कोर्ट आदेश के बावजूद भी प्रार्थीगण न्यायालय के आदेश का सरेआम मखौल उडा रहे है।

अतः जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर श्रीमानजी से निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र विशेष हर्जे खर्चे के खारिज फरमाये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

प्रार्थना पत्र पर वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई। बहस वकील उभयपक्ष सुनी जाकर पत्रावली का मय दस्तावेजात अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात जमाबंदी संवत 2016 से 2019, विक्रयपत्र से स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि में पूर्व में महन्त गोवर्धनदास चेला माधवदास के नाम दर्ज थी व उक्त भूमि वादग्रस्त के महन्त गोवर्धनदास चेला माधवदास खातेदार काश्तकार दर्ज रिकॉर्ड थे। प्रार्थीगण के पिता द्वारा वादग्रस्त भूमि जरिये विक्रय पत्र क्रय की गई है। और क्रय की गई दिनांक से प्रार्थीगण के पिता व उनकी मृत्यु पश्चात प्रार्थीगण वादग्रस्त भूमि पर विक्रय पत्र के आधार पर काबिज खातेदार काश्तकार दर्ज है। अप्रार्थी संख्या 1 का कथन की वादग्रस्त भूमि मन्दिर श्री बिहारीजी देह खातेदार के नाम दर्ज है। मन्दिर मूर्ति शास्वत नाबालिग होने के कारण मन्दिर माफी की भूमि को कोई भी क्रय विक्रय नही कर सकता है और यदि उसने ऐसा किया भी है तो उस क्रय विक्रय से कोई भी अधिकार केता को उत्पन्न नहीं होते है क्योकिं नाबालिग की भूमि को विक्रय व क्रय करने का किसी को भी अधिकार प्राप्त नही है, चाहे वह मन्दिर का पुजारी ही क्यों ना हो तथा वादग्रस्त भूमि पर कब्जे काश्त की बात भी मात्र प्रार्थीगण की कल्पना की उपज है जिसमें कोई सत्यता नही है।

उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत वाद बाबत् घोषणा दुरूस्ती इन्द्राज व स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया गया है विक्रय पत्र से प्रतीत होता है कि प्रार्थीगण द्वारा भूमि सन् 1964 में मंहत गोवर्धनदास चेला माधवदास द्वारा क्रय की गई है और उसी दिनांक से वह वादग्रस्त भूमि पर काबिज है लेकिन वाद का मुख्य बिन्दू यह है कि क्या महंत गोवर्धनदास चेला माधवादास को उक्त वादग्रस्त भूमि को विक्रय करने का अधिकार था अथवा नही। यह तथ्य मूलवाद में दस्तावेजात के आधर पर साक्ष्य लेकर गुणावगुण के आधार पर निश्चय किया जाना है लेकिन तब तक वादग्रस्त कृषि आराजी को संरक्षित बनाये रखना आवश्यक समझते है जिससे वाद बाहुल्यता न बढ़े।

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Scanned by CamScanner

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण को ताफैसला मूलवाद पाबंद किया जाता है कि वादग्रस्त कृषि आराजीयात हाल खसरा नंबर नंबर 4020 रकबा 0.40 है0, 4021 रकबा 0.36 है0, 4022 रकबा 0.01 है0, 4023 रकबा 0.34 है0, 4024 रकबा 0.17 है0, 4025 रकबा 0.22 है0, 4027 रकबा 0.35 है0, 4028 रकबा 0.12 है0, 4029 रकबा 0.28 है0, 4030 रकबा 0.51 है0, 4031 रकबा 0.21 है0, 4032 रकबा 0.20 है0, 4034 रकबा 0.38 है0, 4035 रकबा 0.22 है0, 4036 रकबा 0.24 है0 कुल किता 15 कुल रकबा 5.01 हैक्टेयर ग्राम बगरू कलां तहसील सांगानेर जिला जयपुर स्थिति के मौके व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 28.08.2019 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2020.02.20 15:20:01 IST
Reason: SelfAttested
Location: